अध्याय-प्रथम

शोध-परिचय

अध्याय - प्रथम

शोध-परिचय

1.1 प्रस्तावना :-

शिक्षा अवसरों के समकरण को भारतीय शिक्षा नीति का प्रमुख ध्येय माना गया है। राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव 1968 में यह मांग की गई कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने तथा अंतर समूह की असमानताओं को कम करने के लिये भरपूर प्रयास किये जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में असमानताओं को हटाने तथा अब तक समान अवसरों से वंचित लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर शैक्षिक अवसरों के समकरण पर विशेष बल दिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता की अवधारणा का लम्बा इतिहास है जबकि शिक्षा में समता की अवधारणा अभी हाल की उपज है। शिक्षा में अवसरों की समानता का विचार फ्रांसिसी क्रांति के साथ आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमरीकी स्वतंत्रता युद्ध के बाद इसने स्वरूप ग्रहण किया। शिक्षा में अवसरों की समानता की अवधारणा का सूत्रपात समान पहुँच की व्यवस्था से हुआ। बाद में समान निविष्ट को शैक्षिक अवसरों के समकरण के लिए आवश्यक कसौटी माना गया।

भारत 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरंत बाद एक ऐसी समतावादी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिये वचनबद्ध हुआ जहाँ सामान्यतः समानता तथा विशेषतया अवसरों की समानता को सरकारी नीति का महत्वपूर्ण तत्व माना गया।

संविधान में समतावादी सामाजिक व्यवस्था के लिये निम्नलिखित प्रावधान कियेः-

1. सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया है।
2. विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) प्रदान की गई है।
3. सार्वजनिक नौकरियों के संबंध में अवसर की समानता ।
4. अस्प्रश्यता की समाप्ति,
5. धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म-स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है।

1.1.1 भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के कारण :-

भारत में शैक्षिक अवसरों की विषमताओं के विभिन्न कारण है इनमें से प्रमुख का विवेचन नीचे किया जा रहा है :-

1. हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब है और बहुत थोड़ा भाग अपेक्षतया धनी। किसी शिक्षा संस्था के नजदीक रहते हुए भी गरीब परिवार के बच्चों को यह अवसर नहीं मिलता जो धनी परिवार के बच्चों को मिल जाता है।

2. जिन स्थानों पर प्राथमिक माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाये है, वहाँ के बच्चों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को मिल पाता है जिनकी बस्तियों में संस्थाएँ होती है।

3. शिक्षा की विषमता का एक और बड़ा दुःसाक्ष्य रूप स्कूलों कालेजों के अपने-अपने निम्न स्तरों के कारण पैदा होता है। किसी विश्वविद्यालय या वृतिक कालेज जैसी संस्था में प्रवेश उन अंकों के आधार पर होता है जो माध्यमिक स्तर पर समाप्त कर दी गई सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त हुए हों, तब देहाती क्षेत्रों के साधनहीन ग्रामीण स्कूल में पढ़े छात्र अच्छे शहरी स्कूलों में पढ़े छात्रों की अपेक्षा नुकसान में रहते है। वे प्रवेश के समान अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है।

4. भारतीय परिवेश में शैक्षिक विषमता के दो रूपों को और जन्म दिया है, यथा-

   i. शिक्षा के सब स्तरों पर और क्षेत्रों में लड़कों तथा लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर।

   ii. उन्नत वर्गो और पिछड़े वर्गों-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच शैक्षिक विकास का अंतर।

1.1.2 शिक्षा के अवसरों के समकरण की ओर :-

लोकतंत्र की प्रगति एवं सामाजिक न्याय के लिये शिक्षा के अवसरों की समता की ओर ध्यान देना परमआवश्यक है। यह सत्य है कि पूरी समता कायम करना सामान्यतः असाध्य ही है, परन्तु अच्छी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण विषमतायें पैदा करने वाले कारणों को न्यूनतम कर देने के लिए कदम उठाये जा सकते है।

शैक्षिक अवसरों के समकरण की प्राप्ति के लिये प्राथमिक शिक्षा सभी को समान रूप से प्रदान करना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वतुल्य बनाने हेतु सरकार द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही है तथा एक बड़ी राशि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की जा रही है। कई व्यक्तियों के लिये प्राथमिक शिक्षा ही अंतिम शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते समय अथवा ग्रहण करने के पश्चात कई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते है जिसके कई कारण होते है जैसे :- उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, अधिगम संबंधी परेशानी आदि।

प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थी के अधिगम संबंधी परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए उसे प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सामग्री के महत्व को बताया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में हम शैक्षिक समानता के संदर्भ के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण शासकीय प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों के द्वारा प्रयुक्त की जा रही शैक्षिक सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे है जिसमें शैक्षिक सामग्री के स्तर, गुणवत्ता तथा संख्यात्मकता तीनों बिंदुओं की स्थिति की जानकारी लेने के लिये एक शहरी पब्लिक स्कूल को भी अध्ययन के लिये सम्मिलित किया है। पब्लिक स्कूल से प्राप्त शैक्षिक सामग्री के आंकड़ो से तथा शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध शैक्षिक सामग्री के आंकड़ो की जानकारी प्राप्त कर उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। प्राथमिक स्तर से ही बालक शैक्षिक सामग्री का प्रयोग कर सीखना प्रारंभ करता है अतः प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक शालाओं को लिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार होती है। प्राथमिक शिक्षा का केंन्द्र बिंदु बालक होता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा उसके विद्यालयीन जीवन का प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की वह सीढ़ी है जिससे होकर विद्यार्थी अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर पहला कदम बढ़ाता है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी आते है जिनके अधिगम में विद्यालय में दी जाने वाली भौतिक सुविधाओं का विशेष महत्व होता है परन्तु विद्यार्थी के स्वअधिगम के लिये सर्वाधिक विशेष महत्व उसके पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री जैसे :- स्लेट, पैंसिल, रबर, कॉपी, किताब आदि का होता है। शैक्षिक सामग्री उसके स्वअधिगम को मजबूत आधार प्रदान करती है क्योंकि विद्यार्थी इसका प्रयोग स्वंय करता है शैक्षिक सामग्री विद्यार्थी के अधिगम का सबसे सशक्त एवं उपयोगी माध्यम है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को सभी अवसर समानता के साथ उपलब्ध कराये जाने चाहिए। यह समानता जीवन के प्रत्येक पक्ष

समाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक से संबंधित होना चाहिए। शिक्षा का संबन्ध जीवन के प्रत्येक पक्ष से होता है अतः सभी व्यक्तियों को शैक्षिक अवसरों में समानता प्रदान करना अनिवार्य है।

शिक्षा आयोग (1964-66) ने शैक्षिक अवसरों में समानता न मिलने के कई महत्वपूर्ण कारण बताये जिनमें से एक है : समाज में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का होना। शिक्षा आयोग ने शैक्षिक समकरण की ओर बढ़ने के लिये मुख्य दो सुझाव प्रस्तुत किये।

(1) समान विद्यालय प्रणाली

(2) पड़ौसी विद्यालय पद्धति

यह दोनों ही सुझाव अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सके क्योंकि सामाजिक सरंचना अब काफी उलझ चुकी है। समान विद्यालय प्रणाली पर विचार करे तो शैक्षिक समानता हेतु क्या-क्या समान किया जा सकता है तब हम कह सकते हैं कि विद्यालय भवन, प्रागंण, शौचालय, ब्लैक बोर्ड तथा अन्य सुविधायें, परन्तु हम जिसे समान नहीं कर सकते, वह है विद्यार्थी की अधिगम क्षमता तथा शैक्षिक उपलब्धि क्योंकि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक बालक की अपनी क्षमता होती है जिससे उसकी उपलब्धि भी अलग होती है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात हम यह कह सकते है कि शैक्षिक समानता के अंतर्गत विद्यार्थियों की शिक्षा उनके अधिगम के लिये आवश्यक माध्यम (शैक्षिक सामग्री) को समानता के साथ उपलब्ध कराकर प्रदान की जानी चाहिए। यह विद्यार्थी की क्षमता पर निर्भर है कि वह इसका प्रयोग किस प्रकार से अपने अधिगम हेतु करता है परंतु हमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास अधिगम के लिये माध्यम (शैक्षिक सामग्री) को समान एवं बराबर उपलब्ध कराना चाहिए।

विद्यालय में दी जाने वाली सुविधायें भवन, प्रागंण, कक्षा, ब्लैक बोर्ड.....आदि विद्यार्थी के अधिगम के लिये आवश्यक वातावरण प्रदान करती है परंतु विद्यार्थी का वातावरण के साथ संपर्क शैक्षिक सामग्री के द्वारा ही स्थापित होता है जो अधिगम को उचित आधार प्रदान करता है। यह तथ्य सभी विद्यार्थियों के लिए सही है। अतः हमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता समान करनी है तथा यह उपलब्धता प्राथमिक स्तर से ही समान करनी आवश्यक है।

शिक्षा के व्यावसायीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के कारण विभिन्न श्रेणियों के विद्यालय अब खुल चुके हैं जिनमें मंहगे पब्लिक स्कूल, निजी स्कूलों की संख्या तीव्रता से बढ़ी है। यह विद्यालय भौतिक सुविधाओं एवं अन्य सभी सुविधाओं में सरकारी विद्यालयों से आगे है।

सरकारी विद्यालय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे है। सरकार ने इन विद्यालयों की दशा सुधारने हेतु विशेष योजनायें समय-समय पर शुरू की एवं उनका क्रियान्वयन भी किया तथा समय-समय पर शिक्षा की स्थिति जानने हेतु अध्ययन भी किया जाता है परन्तु प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी के पास शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता है भी या नहीं अगर है तो उसकी स्थिति कितनी एवं किस प्रकार की है इस पर न तो कोई विशेष ध्यान दिया गया न ही कोई अध्ययन किया जबकि यह विद्यार्थी के अधिगम से प्रत्यक्ष संबंध रखती है।

प्रस्तुत अध्ययन में शैक्षिक समानता के आधार को लेकर यह देखना चाहते है कि शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा उपयोग की जाने वाली शैक्षिक सामग्री की मात्रा एवं स्तर क्या है, जिसके आधार पर शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता का तुलनात्मक विवेचन किया जा सके।

1.1.3 पदो की संकल्पना एवं परिभाषा

शैक्षिक सामग्री

वह सामग्री जिसे छात्र अपने अधिगम के लिये कक्षा में प्रयोग में लाता है शैक्षिक सामग्री कहलाती है। जैसे : पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, किताब, गृहकार्य पुस्तिका।

शैक्षिक अवसरों में समानता

शैक्षिक अवसरों में समानता से तात्पर्य है कि शिक्षा से संबंधित सभी सामग्रियों तथा अवसरों को समानता के साथ सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर वितरित किया जाये तथा उपलब्ध कराया जाये।

1.2 शैक्षिक सामग्री का प्राथमिक शिक्षा में स्थान

प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्र का आधार तैयार करता है। जिस प्रकार बालक बाल्यावस्था में खिलौनों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं को समझता है उनमें अंतर करना सीखता है वही कार्य प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिये शैक्षिक सामग्री का होता है। शैक्षिक सामग्री ही विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावी बनाती है। विद्यालय में छात्रों को सभी भौतिक सुविधायें उपलब्ध हों जैसे :- भवन, मैदान, बोर्ड, चार्ट, नक्शा, आदि परंतु यदि छात्र के स्वयं के पास अध्ययन हेतु आवश्यक शैक्षिक सामग्री जैसे :- स्लेट, पेंसिल,

कॉपी किताब आदि उपलब्ध न हो तो उसे प्रदान की जाने वाली भौतिक सुविधायें भी उसके अधिगम को प्रभावी नहीं बना सकेगी।

लेखन अभ्यास के लिये लिखित सामग्री जैसेः- स्लेट, पेंसिल, पाठ्य सामग्री जैसेः- किताबें, पत्रिकायें, सभी विषयों से संबंधित सामग्रियाँ है जिनका उपयोग छात्र प्राथमिक स्तर से करना शुरू करता है बिना शैक्षिक सामग्री के उसके लिए किसी भी कौशल चाहे वह लेखन, वाचन, चित्रण एवं अन्य में पारंगत होना संभव नहीं है। बिना किसी माध्यम के छात्र अपने किसी भी कौशल को बाहर नहीं ला सकता।

शैक्षिक सामग्री उस माध्यम का कार्य करती है जो सभी छात्रों को यह अवसर देती है कि वह अपनी-अपनी क्षमतानुसार उससे लाभ उठाकर अधिगम करें एवं सभी कौशलों को सीख सके। प्राथमिक स्तर पर यदि विद्यार्थी के पास किसी कारण से शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता में कमी रह जाये तो यह कमी उसके आगे की माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय तक बनी रह सकती है। प्राथमिक स्तर पर किसी कौशल को नहीं सीख पाने के कारण आगे के समय में जब विद्यार्थी उसे सीखने के लिये प्रयास करता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तथा समय के अभाव के कारण वह कमी (उस कौशल की) दूर नहीं हो पाती। प्राथमिक स्तर पर यदि उसके पास पर्याप्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध रहे तो यह संभव है कि वह सभी कौशलों का अभ्यास भी कर सके एवं सीख सके इसके पश्चात् यदि उसमें कमी रह जाती है तो यह उसकी क्षमता में कमी के कारण होगी अतः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसके अभाव में अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती तथा विद्यार्थियों का अधिगम भी संभव नही हो सकता।

1.3 विद्यार्थी के अधिगम में शैक्षिक सामग्री का महत्व

प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थी लिखना, पढ़ना तथा विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाना आदि सीखता है। लिखने के लिये उसे स्लेट, कॉपी, पेंसिल की आवश्यकता होती है, पढ़ने के लिये, विभिन्न विषयों की किताबें, आकृतियों बनाने के लिये ड्राइंग बुक एवं ड्राइंग कॉपी, पेंसिल एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के अभाव में लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना संभव नहीं हो सकता अतः प्रत्येक शैक्षिक सामग्री विद्यार्थी के अधिगम का केंन्द्र बिंदु होती है। स्लेट, पेंसिल, रबर, कॉपी, गृह-कार्य पुस्तिका आदि सभी वे शैक्षिक सामग्रियाँ हैं जिनमें से किसी एक के अभाव में विद्यार्थी की लेखन संबंधी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है अथवा उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

शैक्षिक सामग्री बालक की क्षमता को बाहर लाने का कार्य करती है उसे एक विशेष कौशल में अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है। शैक्षिक सामग्री विद्यार्थी को प्रत्येक कौशल सीखने (लेखन, पाठन, चित्रण) का पर्याप्त अवसर देती है। यदि प्राथमिक स्तर पर बालक इसका लाभ न उठा सके तो वह आगे भी चाहे कितनी शैक्षिक सामग्री का प्रयोग कर उसे कौशल को सीखने का प्रयास करे उसमें सफल नहीं पायेगा क्योंकि उसका अधिगम प्राथमिक स्तर से ही प्रभावित हो गया था तथा उसमें यह कमी शैक्षिक सामग्री के अभाव के कारण उत्पन्न हुई।

शैक्षिक सामग्री का महत्व माध्यमिक स्तर एवं उच्च अध्ययन में भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना प्रारंभिक स्तर पर परंतु प्रारंभिक स्तर अध्ययनरत छात्र के लिये शैक्षिक सामग्री की सही उपलब्धता उसके लिये माध्यमिक स्तर एवं उच्च अध्ययन में अधिगम प्रक्रिया को आसान बना देती है

उदाहरण : यदि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के पास चित्रण अभ्यास हेतु शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो तो यह संभव है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आगे की कक्षाओं में उसे अधिगम से संबंधित विभिन्न रचनायें (ज्यामितीय आकृति एवं जैविक संरचनायें नक्शे) तथा अन्य प्रकार की आकृतियों को बनाने में परेशानी महसूस होगी अथवा वह उन्हें बना नहीं सकेगा। यह भी संभव है कि पर्याप्त चित्रण सामग्री उपलब्ध होने पर भी वह अच्छी रचनाये न बना सके परंतु उसके पास उपलब्ध पर्याप्त चित्रण सामग्री उसमें आकृतियों को बनाने में रूचि अवश्य जागृत करेगी जो कि उसके अधिगम में सहायक होगी अतः सभी प्रकार की शैक्षिक सामग्री प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के पास उपलब्ध होना आवश्यक है। शैक्षिक सामग्री विद्यार्थी अधिगम को मजबूत आधार प्रदान करती है साथ ही उसे अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करती है। अतः यह स्पष्ट है विद्यार्थी में निहित कौशल को बाहर लाने का सबसे अच्छा माध्यम शैक्षिक सामग्री के अतिरिक्त और नहीं है।

1.4 शैक्षिक सामग्री की विशेषतायें

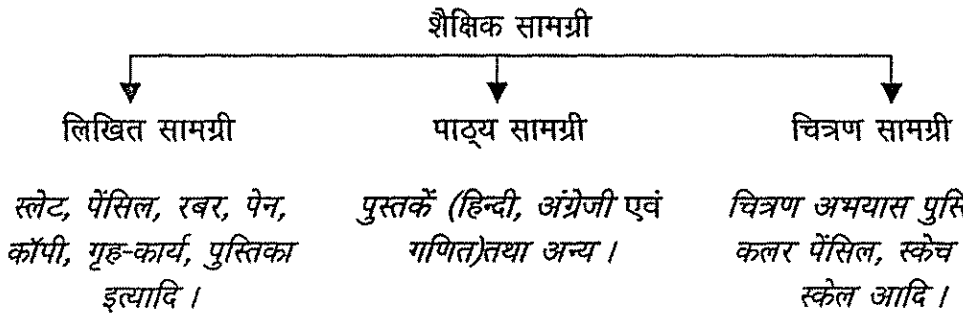

लिखित सामग्री के अभाव में छात्र स्वयं लिखना नहीं सीख सकता है। किसी अक्षर को बनाने का कौशल वह तभी सीख सकता है जब उसे लिखकर वह स्वयं अभ्यास करे। कुछ समय पूर्व तक प्रथम अक्षर का अभ्यास छात्र स्लेट पर बनाकर करता था जिसे हम मिनी ब्लैक बोर्ड कहते है। आज इसका चलन ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित ही रह गया है । जिसके स्थान पर अभ्यास पुस्तिका का महत्व बढ़ गया है क्योंकि अभ्यास पुस्तिका से लेखन का अभ्यास होने पर छात्र की एक लेखन शैली बन जाती है जो हमेशा बनी रहती है क्योंकि इसका प्रयोग शिक्षा के सभी स्तरों पर अनिवार्य रूप से किया जाता है। जब छात्र स्वयं कोई अक्षर या अंक पहली बार बनाता है तो उसे जो आंतरिक खुशी होती है उस खुशी का माध्यम लिखित सामग्री होती है। पेंसिल, पेन, रबर, गृहकार्य पुस्तिका आदि सभी का लिखित सामग्री में विशेष महत्व होता है तथा इसके अभाव में लेखन कौशल का कोई अर्थ नहीं है लेखन कौशल चाहे वह हिन्दी, अंग्रेजी एवं अन्य विषयों से संबंधित हो लिखित सामग्री के बिना सीख पाना संभव नहीं हो सकता।

पाठ्य सामग्री का भी अपना महत्व होता है किसी विषय की जानकारी छात्र बिना पढ़े प्राप्त नहीं कर सकते, यह जानकारी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिये भी आवश्यक है साथ ही छात्र के विषय संबंधी अभ्यास कार्य हेतु, स्वयं कुछ सीखने, समझने एवं जानकारी प्राप्त करने में पाठ्य सामग्री का उपयोग अनिवार्य होता है। इसके अभाव में छात्र किसी भी विषय को ना तो समझ सकता है ना उस विषय के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकता है।

चित्रण सामग्री की सहायता से विद्यार्थी चित्र बनाना सीख जाता है जिससे चित्र बनाने की सृजनात्मकता उभरकर सामने आती है। चित्र बनाने में प्रयुक्त होने वाले पेंसिल कलर, वॉटर कलर, रबर, स्केच पेन तथा अन्य सामग्रियों की सहायता से वह विभिन्न रंगों की पहचान करना सीखता है तथा इन रंगों की सहायता से किसी भी वस्तु या संरचना का वास्तविक रूप बनाना सीख जाता है। विद्यार्थी को चित्र बनाने का अभ्यास हो जाने पर आगे की कक्षाओं में उसे अधिगम के लिये आवश्यक ज्यामितीय आकृतियों, भौगोलिक चित्र, चार्ट, आदि बनाने में आसानी होती है तथा वह विषय से संबंधित प्रत्यय को जल्दी समझ जाते है। बिना चित्रण सामग्री के उसमें चित्र बनाने के कौशल का विकास संभव नहीं हो पाता है। चित्रण सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी के अंदर सौंदर्यात्मक बोध का विकास होता है।

1.5 भार रहित अधिगम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 01 मार्च 1992 को स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन का गठन किया। समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत की ।

रिपोर्ट में दिये गये सुझाव में इस पहलू पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी का बोझ किया जाये अर्थात प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी जितनी शैक्षिक सामग्री को अपने बस्ते में लेकर विद्यालय में आता है वह काफी अधिक है उसमें कमी की जानी चाहिए। ताकि विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके उसे पढ़ना बोझ न लगे। अत्याधिक मात्रा में शैक्षिक सामग्री को विद्यालय में लाने में विद्यार्थी को काफी भार उठाना पड़ता है तथा यह उपलब्धता इतनी अधिक होती है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के शारीरिक स्तर के अनुरूप न होकर उससे कही अधिक होती है फलस्वरूप यह उसके अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। दिल्ली में किये गये सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि पब्लिक स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के स्कूली बैग का वजन औसतन 4 कि.ग्राम. जबकि नगर पालिका के स्कूलों में यह औसतन 1 कि.ग्राम ग्राम तक है।

यह सुझाव मंहगे पब्लिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालयों तथा अन्य सुव्यवस्थित निजी विद्यालयों के लिये सही प्रतीत होता है परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालयों (राज्य स्तरीय) चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण की स्थिति इसके विपरीत है। शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के पास पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक सामग्री का उपलब्ध न हो पाना उनके अधिगम में बाधा बन रहा है दोनों पहलुओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हैं कि दोनों ही प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी के अधिगम में आ रही परेशानी की ओर ध्यान केंद्रित कराती है। जहाँ एक ओर पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थियों से शुल्क ज्यादा लिया जाता है तथा वहाँ पारिवारिक रूप से सम्पन्न विद्यार्थी ही प्रवेश ले पाते है। पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिये आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होती है परंतु वहाँ स्कूल प्रशासन स्वलाभ हेतु अथवा अन्य कारणों से विद्यार्थी को अत्याधिक शैक्षिक सामग्री लेकर स्कूल आना आवश्यक हो जाता है। यह उपलब्धता इतनी अधिक हो जाती है कि विद्यार्थी के शारीरिक एवं मानसिक स्तर से कहीं अधिक

होती है जिस कारण उन्हें दिये जाने वाले गृहकार्य में या तो उसके माता-पिता सहायता करते है अथवा विद्यार्थी अतिरिक्त माध्यम द्वारा शिक्षा लेकर अध्ययन करता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी भी क्रियाशील रहता है क्योंकि उसे अपने आस-पास शैक्षिक वातावरण ही दिखाई पड़ता है लगातार अभ्यास एवं स्व प्रयास से वह अपने मानसिक स्तर को उठाने में समर्थ हो जाता है परंतु उसका अधिगम उसके मानसिक स्तर तक सीमित रह जाता है लगातार कार्य में उलसे रहने से वह अन्य गतिविधियों के लिये फुर्सत नहीं निकाल पाता तथा उसका संपूर्ण समय गृहकार्य करने में ही व्यर्थ होता है।

उपरोक्त विवेचन में यह बताने का प्रयास किया गया है कि अत्याधिक भार चाहे वह पुस्तकीय हो, अथवा अन्य प्रकार का विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करता है जिस पर विचारकर एल. डब्ल्यू. बी. का सुझाव प्रस्तुत किया गया जिसमें विद्यार्थी के अधिगम को भारहीन एवं रूचिपूर्ण बनाने हेतु पाठ्यक्रम संशोधन, किताबों में कमी तथा अन्य सुझाव तो दिये गये परंतु उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया जहाँ विद्यार्थियों के पास आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध ना होने के कारण अधिगम पूरी तरह संभव ही नहीं हो पा रहा वहीं सरकारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पास पर्याप्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नही है तो उनके लिये यह कहना कि अधिगम भारहीन किया जाये के स्थान पर यह कहना उचित होगा उनके अधिगम के लिये कुछ भार अर्थात शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था करना अधिक आवश्यक है।

शैक्षिक समानता के संदर्भ में भार रहित अधिगम का प्रत्यय सभी विद्यार्थियों पर लागू नहीं होता। विद्यार्थियों के अधिगम के लिये सबसे पहली आवश्यकता अधिगम के लिये आवश्यक माध्यम (शैक्षिक सामग्री) को सभी के लिये समान बनाना है। यह समानता शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों में होना चाहिए। शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता समान होने पर हम यह कह सकने में समर्थ होंगे कि सभी विद्यार्थियों के पास उनके अधिगम के लिये हमने समान माध्यम प्रदान किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में हम सर्वप्रथम शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को देखना चाहते है तथा उनके पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री में कितना अंतर पाया जाता है यह देखना चाहते है तथा किस प्रकार शैक्षिक सामग्री शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में समान की जा सकती है उसके लिये शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते है।

1.6 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

पूर्व प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने तक बालक बहुत से शब्दों को बोलना तथा उनके अर्थो को पहचान करना सीख जाता है परन्तु उन शब्दों को कैसे लिखते है तथा उनके लिखने का सही क्रम क्या होता है वह नहीं समझ पाता। जिसके लिये उसे लेखन कौशल को सीखने की आवश्यकता होती है। माता-पिता बालक की यह आवश्यकता समझकर उसकी प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं अर्थात बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाते है माता-पिता यह जानने एवं देखने के लिये उत्सुक रहते है कि उनके बालक ने अपनी भाषा यदि भाषा हिंदी हो तो उसका पहला अक्षर 'अ' यदि भाषा अंग्रेजी हो तो 'A' बनाना अथवा अन्य कोई भाषा हो तो उसका प्रारंभिक अक्षर बनाना सीखा है या नहीं, सर्वप्रथम यह अक्षर शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाया जाता है परंतु बालक के लिये उसे लिखने हेतु लिखित सामग्री जैसेः- स्लेट, पेंसिल, कॉपी, आदि की आवश्यकता होती है तब यह स्पष्ट है कि जिस बालक के पास लेखन सामग्री की उपलब्धता अधिक होगी वह उस अक्षर को अभ्यास द्वारा उचित प्रकार से बनाना सीख जायेगा।

प्राथमिक स्तर पर बालक के अधिगम के लिये जो महत्व लेखन सामग्री का होता है उतना ही महत्व पाठ्य सामग्री, चित्रीय सामग्री एवं अन्य सामग्री का होता है, जिसकी सहायता से बालक अन्य कौशलों को अभ्यास करके सीखता है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के पास शैक्षिक सामग्री की संख्यात्मक एवं गुणात्मक उपलब्धता देखना इसलिये भी आवश्यक है ताकि पर्याप्त शैक्षिक सामग्री के अभाव के कारण कहीं कोई बालक अपने किसी कौशल (लेखन, चित्रण एवं अन्य) को बाहर लाने से वंचित ना रह जाये क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अधिगम संबंधी समस्या या कमी बालक में माध्यमिक तथा उच्च अध्ययन के स्तर तक बनी रहती है तथा बाद में उसमें सुधार करने हेतु समय एवं स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने की कमी रहती है अतः प्रस्तुत अध्ययन का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है।

प्रस्तुत अध्ययन में शैक्षिक अवसरों में समानता के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का पता लगाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अधिगम हेतु विभिन्न योजनायें बनायी गयी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम सामग्री प्रदान करने हेतु *ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड* योजना शुरू की गई। जिसके तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में

आवश्यक न्यूनतम सामग्री (1) अध्यापक सामग्री (2) कक्षा शिक्षण सामग्री (3) खेल सामग्री (4) पुस्तकालय सामग्री (5) अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह उपलब्धता सभी प्राथमिक विद्यालयों विशेषकर जिसमें एक अध्यापक वाले विद्यालयों की स्थिति में सुधार करने में काफी सहायक हुई परंतु PROBE (Public Report on Basic Education) के अनुसार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जिन विद्यालयों में ये सामग्रियाँ उपलब्ध करायी गयी है वहाँ पर कार्यरत शिक्षक उस सामग्री को छात्र तक उपलब्ध नहीं कराते अधिकतर शिक्षक उस सामग्री को वक्से में बंद रखते है अथवा अपने पास रख लेते है ताकि किसी भी प्रकार की जवाबदेही से बच सकें। इस सामग्री में मुख्यतः चार्ट, नक्शे, ग्लोब, पुस्तके आदि आते है जिसका छात्र के अधिगम से संबंध होता है तथा उसके सीखने में सहायक होती है इस सामग्री की उपलब्धता सभी विद्यालयों में समान मात्रा में होना आवश्यक है विशेष रूप से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिये इसका उपलब्ध होना आवश्यक हैं परंतु अभी तक छात्र के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री की स्थिति क्या है, कितनी है, इस पर कोई अध्ययन नहीं हुआ है जो कि उसके अधिगम के लिए पहली आवश्यकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में अंतर भी इसी के कारण होता है साथ ही शिक्षा की विषमता का एक और बड़ा दुःसाक्ष्य रूप स्कूलों और कालेजों को अपने-अपने भिन्न स्तरों के कारण पैदा होता है। जब किसी विश्वविद्यालय या वृतिक कॉलेज जैसी संस्था में प्रवेश उन अंकों के आधार पर होता है जो माध्यमिक स्तर पर समाप्त कर दी गई। सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त हुए है तब देहाती (ग्रामीण) क्षेत्र को साधनहीन ग्रामीण स्कूल में पढ़े छात्र अच्छे शहरी स्कूलों में पढ़े छात्रों की अपेक्षा नुकसान में रहते हैं। वे प्रवेश के समान स्तर का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है।

इस समानता को प्राप्त करने में शैक्षिक सामग्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने में सहायक होगी। शैक्षिक सामग्री की प्राथमिक स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में समानता के साथ उपलब्ध हो जाने से छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने का समान माध्यम मिलेगा जो शैक्षिक समानता की ओर बढ़ने की दिशा में सहायक रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सभी भौतिक सुविधायें, दोपहर भोजन कार्यक्रम आदि का लाभ दिया जाता है ताकि वे विद्यालय आने हेतु प्रेरित हों, परंतु विद्यालय आने के पश्चात् उनके पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री कम हो, खराब स्थिति में हो, तो उसके अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होगी तथा वह अध्ययन में परेशानी महसूस करेगा साथ ही यह भी संभव है कि वह अध्ययन संबंधी परेशानी के कारण विद्यालय छोड़ दे। अतः शैक्षिक सामग्री का महत्व छात्र के अधिगम हेतु भौतिक सुविधाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

NCF 2005 के अनुसार हाल ही में एक असाधारण विशेषता उभरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुश्रेणीय स्कूल। इन विद्यालयों में पाठ्यचर्या की अवधारणाओं, शिक्षण सामग्री तथा पद्धति को लेकर कोई जागरूकता नहीं है।

अतः शैक्षिक समानता के अंतर्गत यह देखना भी आवश्यक है कि ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शैक्षिक सामग्री में कितना अन्तर पाया जाता है।

उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए रखते हुये यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक सामग्री को गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से सभी छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही उपलब्ध कराना चाहिए। प्रायमिक स्तर पर शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता में कमी विद्यार्थी के आगे के अधिगम में नकारात्मक प्रभाव डालती है। अध्ययन के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में तथा रूचि बनाये रखने में शैक्षिक सामग्री एक महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करती है। शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता यदि शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में असमान है तो सर्वप्रथम इसे समान रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि प्रत्येक छात्र को प्राथमिक स्तर से ही अधिगम के लिये समान माध्यम मिल सके।

प्रस्तुत अध्ययन में शैक्षिक समानता के तथ्य को ध्यान में रखकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री की स्थिति एवं उपलब्धता का पता लगाना छात्र के अधिगम के लिये विशेष रूप से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है अतः प्रस्तुत अध्ययन की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं महत्व दोनों ही हैं।

1.7 समस्या कथन

ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शैक्षिक सामग्रीः तुलनात्मक अध्ययन।

1.8 शोधकार्य के उद्देश्य

1 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री क्या है, देखना।

2 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली लिखित सामग्री क्या है, देखना।

3 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री क्या है, देखना।

4 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली चित्रीय सामग्री क्या है, देखना।

5 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री की तुलना करना।

1.9 परिकल्पना

1 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री में पर्याप्त अंतर पाया जाता है।

2 ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध शैक्षिक सामग्री में कक्षानुसार पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

3 पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के पास शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में बहुत अधिक है।

1.10 सीमांकन

1 प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा अपने अधिगम के लिये कक्षा में प्रयोग की जाने वाली शैक्षिक सामग्री तक ही सीमित है।

2 प्रस्तुत अध्ययन ग्वालियर जिले तक सीमित है।

3 प्रस्तुत अध्ययन ग्वालियर जिले के 5 विद्यालयों तक ही सीमित है।

4 प्रस्तुत अध्ययन ग्वालियर जिले के शहरी क्षेत्र के 3 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 2 विद्यालयों तक ही सीमित है।

5 प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक कक्षाओं 1, 2 एवं 3 के विद्यार्थियों तक ही सीमित है।